ले ज गुरमीत सिंह
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम (से नि)
राज्यपाल/कुलाधिपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

सत्यमेव जयते

लोकभवन,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 33216/जी0एस0(शिक्षा)/C3-7(VI)/2025
देहरादून : दिनांक 31 अगस्त, 2026

: आदेश :

एतद्द्वारा इस सचिवालय के आदेश संख्या : 32076/जी0एस0(शिक्षा)/C3-7(VI)/2025, दिनांक 17 जुलाई, 2026 को अतिक्रमित करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–12 की उपधारा–(10) के अन्तर्गत प्रो0 दीवान सिंह रावत को दिनांक 21 जुलाई, 2026 से अग्रेत्तर छः माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति तक कुलपति–कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के पद पर नियुक्त किया गया था।

उपरोक्त के क्रम में प्रो0 दीवान सिंह रावत द्वारा दिनांक 23.08.2026 को प्रेषित पत्र के माध्यम से निजी कारणवश कुलपति पद से अवमुक्त किये जाने सम्बन्धी अनुरोध को आज दिनांक 31 अगस्त, 2026 के अपराह्न से स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–12 की उपधारा–(10) के अन्तर्गत **प्रो0 नवीन चन्द्र लोहनी, कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी** को उनके अपने कार्यदायित्वों के साथ–साथ दिनांक 01 सितम्बर, 2026 से अग्रेत्तर आदेश तक अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति, जो भी पहले हो तक के लिए कुलपति–कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल का अतिरिक्त पदभार सौंपा जाता है।

(ले ज गुरमीत सिंह)
कुलाधिपति।

संख्या : 33216 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/C3-7(VI)/2025 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन ।
3. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. प्रो0 दीवान सिंह रावत, कुलपति–कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
7. प्रो0 नवीन चन्द्र लोहनी, कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
8. कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
9. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
31/8/26
(रविनाथ रामन)
कुलाधिपति के सचिव।

(3) यदि भविष्य में कोई सूचना या तथ्य गलत पाया जाता है, तो निर्गत अनुमति/सम्बद्धता को निरस्त कर संस्थान के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीया

Digitally signed by
Reena Joshi
Date: 29-08-2026
10:57:34

(रीना जोशी)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या– 5012 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/**A4-22-3** /2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/निदेशक, संबंधित संस्थान।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Shri Laxman Ram Arya
Date: 31-08-2026
11:07:32

(लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के उपसचिव।